पत्र संख्या विधि-4(3)/ व्यापारी संवाद कार्यक्रम/2025-26/ 533 / राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 07 जनवरी, 2026

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक/कार्पो0सर्किल)
समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य कर विभाग की प्राथमिकता राजस्व संग्रह के साथ-साथ प्रदेश के व्यापारियों को जीएसटी की विधिक व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक करना एवं इसके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान करना है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में माह जनवरी, 2026 में दिनांक 17.01.2026 एवं 28.01.2026 को प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, पंजीयन बेस एवं राजस्व वृद्धि तथा स्थानीय स्तर पर जीएसटी 2.0 सुधारों के प्रति जागरूकता हेतु उद्यमियों, करदाताओं एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से **"व्यापारी संवाद कार्यक्रम"** आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य निर्देश :

1. प्रत्येक जनपद में उक्त तिथियों में वृहद स्तर पर व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजन हेतु किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी शासकीय संस्था के सभागार का चयन किया जाए।
2. इस संवाद कार्यक्रम में मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अथवा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए।
3. कार्यक्रम में विभिन्न स्थानीय व्यापारिक संगठनों, उद्यमियों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ-साथ विशेष रूप से मीडिया बंधुओं को भी आमंत्रित किया जाए।
4. कार्यक्रम में महिला उद्यमियों एवं युवा उद्यमियों की भी विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
5. जनपद के समस्त विभागीय अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जाए।
6. पंजीयन, रिटर्न फाईलिंग से संबंधित विधिक व्यवस्था के साथ-साथ पोर्टल की व्यवस्था का भी संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया जाए।

7. अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के मध्य जीएसटी 2.0 सुधार, पंजीयन के लाभ, रिटर्न दाखिला, समाधान योजना, टीडीएस/टीसीएस से सम्बन्धित रिटर्न की व्यवस्था एवं व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना विषयों पर सारगर्भित उद्बोधन किया जाए।
8. करदाताओं और उद्यमियों के साथ संवाद, समस्याओं व सुझावों पर चर्चा भी की जायेगी एवं प्राप्त समस्याओं तथा सुझावों से मुख्यालय को कार्यवृत्त के रूप में उपलब्ध कराया जाए।
9. मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दिये गये लाभों से भी अवगत कराया जाए तथा यथासम्भव व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के वास्तविक लाभार्थियों को भी आमंत्रित करते हुये उनका अथवा उनके प्रतिनिधि का संक्षेप में उद्बोधन कराया जाए।
10. कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार हेतु प्रेस नोट, सोशल मीडिया और स्थानीय माध्यमों का उपयोग किया जाए।
11. कार्यक्रम की फोटोग्राफी/वीडियोंग्राफी भी करायी जाए तथा उक्त मीटिंग का कार्यवृत्त तैयार कराकर फोटो एवं विडियो के साथ मुख्यालय के विधि अनुभाग की ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराया जाए।
12. जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा, जिनका विवरण पृथक से उपलब्ध कराया जाए।

प्रत्येक जनपद में यह कार्यक्रम व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये निर्धारित तिथियों पर सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने का दायित्व प्रत्येक संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर एवं अपर आयुक्त, राज्य कर का होगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

07/01/26

(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 17-01-2026 एवं दिनांक 28-01-2026 को प्रस्तावित

व्यापारी संवाद कार्यक्रम की संशोधित रूपरेखा

1. **उद्घाटन सत्र**
    - दीप प्रज्ज्वलन
    - जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर द्वारा स्वागत भाषण।
    - कार्यक्रम के उद्देश्य की संक्षिप्त जानकारी दिया जाना।
2. **विशेषज्ञ सत्र**
    - अधिकारियों द्वारा पंजीयन, रिटर्न दाखिला, समाधान योजना, जीएसटी 2.0 सुधारों के लाभ, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के विषयों पर उद्बोधन।
    - ईठ भट्ठा से प्राप्त होने वाले राजस्व एवं ईठ भट्ठा पर करदेयता के सम्बन्ध में विधिक प्रावधानों पर उद्बोधन
3. **मुख्य संवाद सत्र**
    - व्यापारियों से संवाद, समस्याओं व सुझावों पर चर्चा।
    - सुझावों का संकलन।
4. **समापन सत्र**
    - कार्यक्रम सारांश
    - धन्यवाद ज्ञापन
5. **अनुवर्ती कार्यवाही**
    - कार्यक्रम का कार्यवृत्त, फोटो /वीडियो सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना।